

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सुकमा वनमण्डल, सुकमा (छ.ग.)

Phone - Office-(07864) 284209, Fax-(07864) 284272 E-mail -dfo-sukma.cg@gov.in,dfosukma@yahoo.co.in

सुकमा, दिनांक 5/05/2023

क्रमांक/व.त.अ./ 863

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fibre Private Ltd. Raipur, Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in sukma Forest Division under Sukma District of Chhattisgarh State, Area- 3.857 ha. पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/155722/2022

संदर्भ :- असिसटेंट वॉईस प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर का पत्र क्रमांक/जिडिफाप्रालि/वनभूमि/व्यपवर्तन/सुकमा/2022 दिनांक 31/10/2022 एवं पत्र क्रमांक/जिडिफाप्रालि/मानचित्र/सुकमा/2022/005 दिनांक 16/01/2023

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र - 2 के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार आवेदक संस्थान के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वन मंडल कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिंदुवार विवरण निम्नानुसार है:-

- आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ - 01)**
 - छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकाम-दोरनापाल, दोरनापाल-कोण्टा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल-छिंदगड़ एवं चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्ग समानान्तर आरक्षित वन भूमि रकबा 1.287 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 1.355 हे. एवं राजस्व वन भूमि रकबा 1.215 हे. कुल रकबा 3.857 हे. पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु न्यूनतम मांग है।
- प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाइन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ - 02 से 11)**
 - आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन हेतु राशि रुपये - 6000 एवं प्रोसेसिंग शुल्क हेतु रु 18000/- जमा किया गया है, जिसे कोषालय में दिनांक 18.11.2022 द्वारा पी.डी.खाता में जमा किया गया है। पंजीयन क्र. FP/CG/OFC/155722/2022 (ऑनलाइन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति संलग्न)
- वन क्षेत्र विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ - 12 से 17 तक)**
 - व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित संरक्षित वन रकबा 1.355 हे., आरक्षित वन रकबा 1.287 हे. एवं राजस्व वन भूमि रकबा 1.215 हे. कुल रकबा 3.857 हे. है। व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.2 से 0.3 है। वन की साईट क्वालिटी iii प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षों की कटाई आवश्यकता नहीं है।
- गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ - 18 से 19 तक)**
 - वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकाम-दोरनापाल, दोरनापाल-कोण्टा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल-छिंदगड़ एवं चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्ग समानांतर कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट-ऑफ-वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित गैर वनक्षेत्र का कुल रकबा 7.844 हे. है।

5. प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मुल टोपो शीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ – 20 से 21 तक)
 - वन प्रबंधन सूचना प्रणाली रायपुर से प्राप्त टोपो शीट प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ – 22 से 35 तक)
 - वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है।
7. प्रपत्र- 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ – 36 से 44 तक)
 - प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ- 45)
 - छत्तीसगढ़ का एक तिहाई जनसंख्या जनजातियों की है, ज्यादातर उत्तर और दक्षिण में घने जंगलों वाले इलाकों में है। छत्तीसगढ़ राज्य में इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जायेगा जिसके अंतर्गत सुकमा जिले में 59 ग्रामों और उनसे लगे अन्य ग्रामों में उच्च गति ब्रॉडबैंक कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
9. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ – 46)
 - छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में सुकमा वनमंडल अंतर्गत तोंगपाल-सुकमा, सुकाम-दोरनापाल, दोरनापाल-कोण्टा, मोखपाल-सुकमा, तोंगपाल-छिंदगड़ एवं चिंतागुफा-दोरनापाल मुख्य मार्ग समानान्तर वन भूमि की आवश्यकता के परिपेक्ष्य में अन्य विकल्पों का पता लगाया गया है किन्तु कोई भी विकल्प उचित नहीं पाया गया। अतएव प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं हैं। इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम हैं।
10. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ – 47)
 - किसी भी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अधिनियम उल्लंघन की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं हैं।
11. वनअधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदनमय स्पष्ट अनुसंशा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जायेगा (प्रस्ताव पृष्ठ – 48 से 64 तक)
 - वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं।
12. ऐतिहासिक स्थल प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ – 65)
 - प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु आवेदित वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के इमारत /स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहे है।
13. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ – 66 से 115 तक)
 - इस प्रस्ताव अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायतों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
14. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे.में) (प्रस्ताव पृष्ठ – 116)
 - सुकमा जिले के वन मंडल अन्तर्गत कुल वन भूमि 3448.520 वर्ग कि.मी. है।
15. व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे.में.(प्रस्ताव पृष्ठ – 117)
 - सुकमा वन मंडल अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 07 स्वीकृत प्रकरणों में रकबा 106.274 हे. वन भूमि प्रभावित हुआ है।
16. व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे.मे (प्रस्ताव पृष्ठ – 118)
 - सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल, सुकमा के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इसी श्रेणी के कुल प्रत्यावर्तन वनभूमि रकबा 0.750 हे. स्वीकृत है।
17. प्रस्तावित क्षेत्र को 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ – 119)
 - प्रस्तावित क्षेत्र को 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।

18. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ - 120 से 124 तक)
 - प्रमाण पत्र संलग्न है।
19. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ - 125 से 129 तक)
 - संलग्न
20. पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ -130)
 - उक्त चेक लिस्ट के बिंदु क्रमांक - 02 में उल्लेखित है।
21. राष्ट्रीय उद्यान/वन्य प्राणी अभ्यारण्य के अंदर से ओ.एफ.सी गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) छ.ग. की अनुसंशा (प्रस्ताव पृष्ठ - 131)
 - आवश्यकता नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी
सुकमा वनमण्डल, सुकमा